

Sambharyan

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्या: एसटी/एफएस/आई-3(सी)/2015
सेवा में,

दिनांक: 20 नवम्बर, 2018

सचिव

वाराणसी विकास प्राणिकरण,
वाराणसी।

विषय: श्री आनन्द कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सी०के० 65/159ए, पियरी कला, चौक वाराणसी, अधिकृत मेसर्स रुद्रा रियल स्टेट लि०, द्वारा आराजी नं० 21, 22, पार्ट 22, 24, पार्ट 24 मौजा-धनेसरी, परगना-अठगावा, तहसील-पिण्डरा, जिला-वाराणसी, का प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आवेदक प्रार्थना पत्र दिनांक: 15.11.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से स्थलीय निरीक्षण संयुक्त रूप से किया गया तथा मानचित्र का परिशीलन किया गया, निम्न तथ्य प्रकाश में आयें:-

A. भवन की संरचना - संलग्न है।

B. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:-प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन.बी.सी. की आवासीय भवन (ए-4) की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

C. ढांचागत व्यवस्था:-

1. पहुँच मार्ग:-प्रस्तावित भवन मानचित्र के अनुसार 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई- प्रस्तावित भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 04.50 मीटर एवं ऊँचाई 05.00 मीटर का बनाया जाना प्रस्तावित है, जो मानक के अनुरूप है।
3. सेटबैक :-प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत् है:-

ए- अग्रभाग	-	13 मीटर
बी- पृष्ठभाग	-	13 मीटर
सी- पार्श्व प्रथम	-	13 मीटर
डी- पार्श्व द्वितीय	-	13 मीटर

सेटबैक को हमेशा अवरोधमुक्त रखा जायेगा, इसमें किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य नहीं होगा।

4. निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन में चार टावर है, जिसमें प्रत्येक टावर में दो-दो स्टेयरकेस कल 8 स्टेयर केस प्रस्तावित है। सभी स्टेयर केस 1.50 मीटर चौड़ाई के प्राविधानित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5. ऊँचाई:-प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 44.70 मीटर प्रस्तावित है।

6. रिफ्यूज एरिया का विवरण:- निल

D. प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीवरक्षा प्रणाली:-एन.बी.सी. के अनुसार

निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य है:-

1. **निकास मार्ग**— प्रस्तावित भवन के ऊपरी तलों से आने वाले स्टेयर केस को भूतल पर टर्मिनेट कर दिया जाय, किसी भी दशा में स्टेयर केस को ऊपरी तलों से बेसमेन्ट तक निरन्तरता नहीं होनी चाहिए या चार घंटा रेटिंग का स्माक चेकडोर आई0एस0 3614 (पार्ट-1) 1966 के अनुरूप लगाया जाय।
2. **भूमिगत टैंक**— प्रस्तावित भवन में एन.बी.सी. के मानकों के अनुसार 75000 लीटर क्षमता को भूमिगत टैंक स्थापित किया जाना आवश्यक है।
3. **पम्प**—प्रस्तावित भवन में 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का इलेक्ट्रिक पम्प—एक अदद, 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का डीजल पम्प—एक अदद व 180 एल0पी0एम0 क्षमता का जॉकी पम्प—एक अदद नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
4. **होजरील**—प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.—3844 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
5. **वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम**—प्रस्तावित भवन में वेटराइजर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
6. **यार्ड हाइड्रेंट**—प्रस्तावित भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेंट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज पाइप तथा ब्रान्च एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई.एस.—13039:1991 के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
7. **हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम**—प्रस्तावित भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
8. **स्वचालित डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम**—प्रस्तावित भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
9. **स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**—प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
10. **टैरेस टैंक्स**—प्रस्तावित भवन के टैरेस पर 5,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक्स स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
11. **टैरेस पम्प**—प्रस्तावित भवन के टैरेस टैंक पर टैरेस पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
12. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)**—प्रस्तावित भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.—2190:2010 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
13. **एक्विजट साइनेज**—भवन निर्माण के पश्चात् एक्विजट साइनेज स्थापित किया जाना प्राविधानित है।
14. **पी0ए0 सिस्टम**—पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था का प्राविधान सम्पूर्ण भवन में किया गया है।
15. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में रैम्प का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के मानकों के अनुसार न्यूनतम 6.30 मीटर अनिवार्य होगा। जिसमें वाहनों के आवागमन हेतु बीच में पार्टीशन किया जाना अनिवार्य होगा तथा उसका ढाल 1:10

- रखा जाय तथा उस पर फिसलन रहित सतह बिछाई जाये।
16. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में मेकेनिकल वेन्टीलेशन प्रणाली को स्थापित किया जाना आवश्यक है।
 17. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट लाइन भवन इनवेलप के बाहर है। बेसमेन्ट के सीलिंग का 45 टन लोड वियरिंग क्षमता का डिजाइन स्ट्रक्चलर इंजीनियर से प्राप्त कर उसी के अनुरूप निर्माण कार्य कराया जाय।
 18. प्रस्तावित भवन में पृथक सर्किट पर वैकल्पिक विद्युत श्रोत की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
 19. प्रस्तावित भवन में विद्युत व्यवस्था आई0एस0 1646:1997 के अनुरूप किया जाय।

उपरोक्तानुसार श्री आनन्द कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सी0के0 65/159ए, पियरी कला, चौक वाराणसी, अधिकृत मेसर्स रुद्रा रियल स्टेट लि0, द्वारा आराजी नं0 21, 22, पार्ट 22, 24, पार्ट 24 मौजा-धनेसरी, परगना-अठगावा, तहसील-पिण्डरा, जिला-वाराणसी, पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन का प्रोविजनल अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का अग्निशमन सुरक्षा पत्र, इस शर्त पर निर्गत किया जाता है कि, भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने तथा अधिवासित होने से पूर्व बहुखण्डीय भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक स्वामी/सोसायटी प्रबन्धक की होगी।

30 NOV 2018

(राकेश राय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

मुख्य वाराणसी अधिकारी

वाराणसी

प्रतिलिपि:-अग्निशमन अधिकारी चेतगज, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

